वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ***बहुत।*** दिलबाग सिंह सियान
(जी.आर. मजीठिया, जे।)

**जी. आर. मजीठिया, जे.**

**वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद,-याचिकाकर्ता।**

**बनाम**

**दिलबाग सिंह सियान, प्रतिवादी।**

**1989 का नागरिक संशोधन संख्या 2354।**

**20 दिसंबर, 1989.**

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम—1985-एस.एस. 14. 19 और 29—सी.एस.आई.आर. के विरूद्ध आवासीय आवास खाली कराने हेतु वाद दायर करना आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

कर्मचारी-केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ में मुकदमे के हस्तांतरण के लिए अधिनियम की धारा 29 के तहत दायर आवेदन-सेवा की शर्त के रूप में आवासीय आवास की अनुमति देना, विवाद पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है-सिविल कोर्ट के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

*यह अभिनिर्णित किया गया है* कि किसी कर्मचारी को आवासीय आवास का आवंटन सेवा के अनुबंध या सेवा के आकस्मिक या कर्मचारी को दिखाई गई रियायत के अनुसार हो सकता है, लेकिन यह रोजगार की शर्तों के दायरे में आएगा और यदि इससे संबंधित कोई विवादउत्पन्न होता है, तो मामले का निर्णय ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना है। (पैरा 5)

1908 के अधिनियम V की धारा 115 *सी.पी.सी.* के तहत *चंडीगढ़ के वरिष्ठ उप न्यायाधीश श्री एच. सी. सुमन के न्यायालय* के 30 *मई,* 1989 के आदेश में संशोधन के

लिए याचिका *दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के सिविल वाद को स्थानांतरित* करने के *आवेदन को खारिज कर दिया गया था। सिंह सियान को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ में नियुक्त किया गया।*

*दावा- स्थायी आदेश के लिए वाद, जिसमेंप्रतिवादी को क्वार्टर संख्या* सी-60, *सी.एस.आई.ओ., कॉलोनी, सेक्टर* 30, चंडीगढ़ को खाली करने की आवश्यकता होती है, *निम्नानुसार हैः –*

*पूर्व - क्वार्टर सी*-59

*पश्चिम - क्वार्टर सी*-64

*उत्तर - खुला*

*दक्षिण - वापस खुला*

*प्रतिवादी को किसी भी तरह से वादी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने* के लिए एक और निर्देश के साथ।

*और*

22,763.45 रुपये की वसूली के लिए जैसा कि *पैरा सं 2001 में विस्तृत है*।(ख) उक्त *क्वार्ट की छुट्टी तक क्वार्टर* के *गलत उपयोग और कब्जे के लिए ब्याज और* लागत सहित भविष्य में होने वाली क्षति और वाद की धारा 18 का भुगतान किया *जाता है।*

पुनरीक्षण याचिका में दावा :- *निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अनिल मल्होत्रा *ने यह बात कही।*

विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, *प्रतिवादियों के लिए*

वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ***बहुत।*** दिलबाग सिंह सियान
(जी.आर. मजीठिया, जे।)

## निर्णय

*जी.आर. मजीठिया, जे।*

(1) यह संशोधन क्या है?चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ निर्देश दिया गया था, जिसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रफी मार्ग, एनईडब्ल्यूदिल्ली -1 *बनाम* श्री दिलबाग सिंह सियान नामक दीवानी वाद को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ में स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

तथ्य

(2) याचिकाकर्ता सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। इसने अपने विनियम और उप-नियम तैयार किए जिन्हें भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। उपनियमों के उपनियम 5 में प्रावधान है कि महानिदेशक संयुक्त सचिव (प्रशासन) या किसी अन्य अधिकारी को सोसायटी की ओर से मुकदमा दायर करने और बचाव करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। महानिदेशक ने कानूनी सलाहकार को यह पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया।

(3)प्रतिवादी याचिकाकर्ता का कर्मचारी है। ट्रांस फेर से पहले,वह चंडीगढ़ में तैनात थे और उन्हें क्वार्टर नंबर सी -60, सी.एस.आई.आर कॉलोनी, सेक्टर 30, चंडीगढ़ आवंटित किया गया था। उन्हें 30 जुलाई, 1984 को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था और उनके स्थानांतरण पर उन्हें क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने स्थानांतरण के आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष चुनौती दी। यह फैसला 10 दिसंबर, 1987 को सुनाया गया था। याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ के सिविल कोर्ट में प्रतिवादी को क्वार्टर खाली करने और लाभ की वसूली के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। प्रशासनिक

न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 29 के तहत मुकदमे को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ में स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। 30 मई, 1989 को इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

(4) अधिनियम की धारा 9 और 20 के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद आईबी अधीनस्थ न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामले का फैसला सिविल कोर्ट द्वारा किया जाना है और स्थानांतरण के लिए आवेदन में प्रामाणिकता का अभाव है। का दृष्टिकोण ट्रायल कोर्ट कानून में अस्थिर है। यह अधिनियम संघ या किसी राज्य या किसी स्थानीय या अन्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लेने के लिए अधिनियमित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 323-ए के अनुसरण में भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या सोसायटी का प्राधिकरण। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों का शीघ्र निपटान करना था। रोजगार की अवधि के दौरान अपने कर्मचारी को आवासीय आवास की अनुमति रोजगार के नियमों और शर्तों या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई रियायत के अनुसार दी जा सकती है। फिर भी यह सेवा शर्त में भाग लेगा। रोजगार के दौरान किसी विशेष स्टेशन पर तैनात कर्मचारी को आवासीय आवास आवंटित किया जा सकता है। यदि उसे उस स्थान से स्थानांतरित किया जाता है, तो नियोक्ता को परिसर पर तत्काल कब्ज़ा पाने का अधिकार है। प्रतिवादी को 30 जुलाई, 1984 को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया

गया था। चंडीगढ़ में अपनी पोस्टिंग के दौरान उसे आवंटित क्वार्टर का कब्ज़ा तब खाली नहीं किया गया जब उसे ऐसा करने के लिए कहा गया, जिससे खाली करने के लिए स्थायी अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए सिविल सूट दायर करना आवश्यक हो गया। चौथाई। अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार है: -

"लंबित मामलों का स्थानांतरण - (1) इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल की स्थापना की तारीख से पहले किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक मुकदमा या अन्य कार्यवाही, मुकदमा होने के नाते या कार्रवाई का कारण आगे बढ़ने के लिए, जिस पर यह आधारित है, ऐसा है कि यह होता, अगर यह ऐसी स्थापना के बाद उत्पन्न हुआ होता, ऐसे न्यायाधिकरण के न्यायाधिकार के भीतर, उस तारीख को ऐसे ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा:

बशर्ते इस उप-धारा में कुछ भी उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त के रूप में लंबित किसी अपील पर लागू नहीं होगा।

(2) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम (या सोसायटी) के संबंध में किसी अधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान किए जाने की तारीख से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक वाद या अन्य कार्यवाही, मुकदमा होने के नाते या कार्रवाई का कारण जिस पर वह आधारित है, ऐसा है कि वह ऐसा होता, यदि यह

ऐसे अधिकरण के निर्णय के अंतर्गत उक्त तिथि के बाद उत्पन्न हुईथी, जिसे उस तारीख को ऐसे अधिकरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा:

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त के रूप में लंबित किसी अपील पर लागू नहीं होगी।

*सपष्टीकरण* --इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम (या सोसाइटी) के संबंध में "ट्रिब्यूनल को किस प्रकार का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है", से वह तारीख अभिप्रेत है जिससे धारा 14 की उप-धारा (3) या, जैसा भी मामला हो, धारा 15 की उप-धारा (3) के प्रावधान ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम (या सोसाइटी) पर लागू होते हैं।

(3) जहां संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की तारीख से ठीक पहले किसी एक या अधिक राज्यों, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, में से किसी एक या अधिक राज्यों में राज्य अधिकरण या राज्य अधिकरण हैं या हैं, तो उक्त तारीख से ठीक पहले ऐसे राज्य अधिकरण या राज्य अधिकरणों के समक्ष लंबित सभी मामलों को उनके अभिलेखों के साथ उस तारीख को ऐसे संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण को अंतरित कर दिया जाएगा।

*सपष्टीकरण*-- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए "राज्य न्यायाधिकरण" का अर्थ धारा4 की उपधारा (2) के तहत स्थापित एक ट्रिब्यूनल है।

(4) जहां कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाहीउप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी अदालत या अन्य प्राधिकरण से ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित हो जाती है।

(a) न्यायालय या अन्य प्राधिकारी, इस तरह के स्थानांतरण के बाद जितनी

जल्दी हो सके, ऐसे मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही के रिकॉर्ड को ट्रिब्यूनल को अग्रेषित करेगा; और

(b) ट्रिब्यूनल, ऐसे रिकॉर्ड प्राप्त होने पर, ऐसे मुकदमे, अपील या अन्य प्रक्रिया पर,जहां तक एएस हो सकता है, उसी तरह से निपटा सकता है, जैसे धारा 19 के तहत आवेदन के मामले में उस चरण से जो इस तरह के हस्तांतरण से पहले या किसी पूर्व चरण या नए चरण से पहुंचा गया था, जैसा कि ट्रिब्यूनल उचित समझे।

(5) जहां कोई मामला उपधारा (3) के तहत संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है, संयुक्त प्रशासनिकअधिकरण ऐसे मामले को उस स्तर से निपटा सकता है जिस स्तर पर उसे स्थानांतरित किए जाने से पहले पहुंचा गया था।

(6) प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1987 के लागू होने से पहले से ही अधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक मामला, एक ऐसा मामला होने के नाते, जिस पर वह आधारित है, कार्रवाई का कारण ऐसा है कि यदि यह इस तरह के प्रारंभ के बाद उत्पन्न हुआ होता, तोकिसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर,उसके अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाएगा: ऐसे प्रारंभ होने पर ऐसी अदालत को हस्तांतरित किया जाता है।

(7) जहां कोई मामला उप-धारा (6) के तहत अदालत में स्थानांतरित किया जाता है,वह अदालत ऐसे मामले को उस चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ सकती है, जिस पर पहुंचने से पहले यह तय हुआ था।

(5) इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल की स्थापना की तारीख से ठीक पहले किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक मुकदमा, कार्रवाई के कारण के आधार पर, यदि ट्रिब्यूनल की स्थापना से पहले उत्पन्न हुआ था, तो उसे ऐसे ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। "कार्रवाई का कारण" शब्द का अर्थ हर उस तथ्य से हो सकता है जो वादी के लिए अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा। इसका बचाव पक्ष से कोई संबंध नहीं है जो प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जा सकता है और न ही यह सादे झगड़े द्वारा प्रार्थना की गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है। यह पूरी तरह से मीडिया को वाद में दिए गए आधारों को संदर्भित करता है, जिस पर वादी अदालत से अपने पक्ष में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहताहै। मुकदमे में, याचिकाकर्ता को आरोप लगाना होगा और साबित करना होगा कि प्रतिवादी को कब्जा कैसे दिया गया था और उसे किस आधार पर कब्जा सौंपने के लिए कहा गया है, जैसा कि देखा गया है, एक कर्मचारी को आवासीय आवास का आवंटन सेवा के अनुबंध या सेवा के आकस्मिक या कर्मचारी को दिखाई गई रियायत के अनुसार हो सकता है, लेकिन यह किसके दायरे में आएगा? रोजगार की शर्तों की शर्तें और यदि इससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले का निर्णय ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना है।

(6) ट्रिब्यूनल के निर्माण से पहले और सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित होने पर, इसे ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित किया जाना है जैसा कि अधिनियम की धारा 29 में परिकल्पित है। अधिनियम की धारा 14 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अधिनियम की धारा 14 के खंड (सी) में प्रावधान है कि उप-खंड (ii) या उप-खंड में निर्दिष्ट किसी भी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति से संबंधित संघ के मामलों के संबंध में सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले (iii) खंड (बी) में, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवाएं

राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या समाज या अन्य निकाय द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के निपटान में रखी गई हैं। सभी सेवा मामलों में समाज के रोजगार में व्यक्तियों की सेवा की शर्तों से संबंधित मामले शामिल हैं। अधिनियम की धारा 19 ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया से संबंधित है। अधिनियम की धारा 14, 19 और 29 को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाना चाहिए। किंग एम्परर बनाम बेनोअरी लाई शर्मा और अन्य में विस्काउंट साइमन ने कहा, जहां अधिनियम की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है, हमें इसे प्रभावी बनाना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो, उस स्थिति में क़ानून के शब्द इरादे को बयां करते हैं। विधान मंडल। इन प्रावधानों को ऐसे तरीके से समझा जाना चाहिए जहां प्रत्येक प्रावधान को उचित प्रभाव दिया जाना चाहिए और एकमात्र निष्कर्ष यह है कि रोजगार की सेवा की शर्तों से संबंधित सभी मामलों पर अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(7) इसके लिए धन्यवाद! ऊपर दिए गए कारणों के अनुसार, 11 के नीचे आदेश को अलग रखा गया है। यह मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ की फाइल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायाधीश एक सप्ताह के भीतर ट्रिब्यूनल को फाइल भेज देंगे! आदेश की प्राप्ति की तारीख से। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 5 फरवरी, 1990 को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

1(



***अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।***

***पारस चौधरी***

***प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी***

***(Trainee Judicial Officer)***

***फ़रीदाबाद, हरियाणा***